

पत्र संख्या-वन भूमि-15/2018- 3186 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक- 27/07/2018

विषय :- दुमका वन प्रमण्डल अंतर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राजभवन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक आवास के लिए नियमितकरण का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-715 दिनांक-29.06.2018 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती

है :-

- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (ग) प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराना होगा तथा उक्त गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (घ) वनभूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर किए गए कार्य के संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक-29.01.2018 को निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप अधिरोपित दण्डात्मक शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (ङ) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-15/2018- 3186 व०प०, राँची, दिनांक- 27/07/18

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक-वन भूमि-15/2018- 3186 व०प०, राँची, दिनांक- 27/07/18

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

PART – V


(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion (regularization) of 14.217 ha of Forest & Jungle-Jhari Land for Magistrate Colony, Outdoor Stadium, Rajbhawan, Police Line & DIG Residence constructed in Dumka.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion (regularization) of 14.217 ha of Forest & Jungle-Jhari Land with conditions as stated in the forwarding letter no- 3186 dated- 27.07.2018


Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 27.07.2018

Place : Ranchi

(Official Seal)